तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रा० पत्र अं० धारा 212 दीवानी पेश करते हुए प्रा० पत्र बावत नियुक्ति मौका कमिश्नर प्रार्थीगण की ओर से पेश शुदा है जिसका जवाब आज पेश हुआ। जवाब मौका कमिश्नर की नकल वकील प्रतिपक्षी को दिलायी गयी। बहस प्रा० पत्र बावत नियुक्ति मौका कमिश्नर पर सुनी गयी दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि ख० न० 78 रकबा 0.41 हे० व ख० न० 155 रकबा 0.06, 155/668 रकबा 0.15 हे० तन ग्राम भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं सीव डोल कायम कर रखी है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की दक्षिणी तरफ भूमि की सीव डोल व सीमा चिन्ह नष्ट कर भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने पर उतारू है व मौका सूरत तब्दील करने पर उतारू है। अतः प्रा० पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की मौजूदा स्थिति की मंगवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण के कथनो के जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र मौका कमिश्नर गलत व मिथ्या आधार पर प्रस्तुत किया है और साक्ष्य एकत्रित करने की बदनियति से पेश किया है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा अपनी खातेदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

व कब्जा काश्त की भूमि ख०नं० 155/668 तन ग्राम मोजपुर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थना मौका कमिश्नर खारीज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी तथा उस पर गौर किया। प्रार्थना नियुक्ति मौका कमिश्नर मौके पर साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से पेश किया प्रतीत होता है। पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रकरण में सक्षम साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करना है। अतः प्रार्थना बाबत नियुक्ती मौका कमिश्नर अस्वीकार योग्य पाये जाने पर खारीज किया जाता है।

वकील वादीगण। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस T.I. हेतु निवेदन किया बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम मोजपुर की भूमि ~~ख०~~ 155 रकबा 0.06 हे० की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता-ससुर-दादा स्व. ज्वाला प्रसाद पुत्र छींगालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा भूमि ख०नं० 155/668 रकबा 0.15 हे० तन ग्राम मोजपुर की खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 ता 12 के नाम ~~[illegible]~~ दर्ज है। ख०नं० 155/668 की खातेदारी अप्रार्थीगण 1 ता 12 के नाम कतई गलत दर्ज है। भूमि ख०नं० 155/668 पर प्रार्थीगण का वक्त बुजुर्गान से कब्जा काश्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की गफलत
व लापरवाही के कारण भूमि ख० नं० 155/668
गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी
तथा गलत तरीके से पुराने ख० नं० 37 से
नया ख० नं० 77 रकबा 0.19 हे० अंकित करते
हुए उसकी खातेदारी प्रार्थीगण के पिता-ससुर-दादा
ज्वाला प्रसाद के नाम दर्ज कर दी गयी है। अतः
कृषि भूमि ख० नं० 155/668 रकबा 0.15 हे० की
खातेदारी प्रार्थीगण अपने नाम करवाने के अधिकारी
है अतः ता दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद ग्रस्त
भूमि की दखिली लैण्ड-सोल व सीमा-चिन्ह न बदले
नाही प्रार्थीगण
न करे। जबरन कब्जा ना करे नाही प्रार्थीगण
को बेदखल करे और ना ही भूमि का रहन अन्तरण
करे।

वकील अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब
में वकील प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते
हुए कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमिया ख० नं०
153, 154, 155/668 के प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार
काश्तकार होकर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है।
तहसीलदार खण्डेला के यहां सीमाज्ञान की प्रार्थना
पेश की गयी थी जिसमें सम्बन्धित पटवारी ने
रिपोर्ट पेश की थी कि भूमि पर कोई विवाद व कोई
स्थगन नहीं है सभी पड़ोसी काश्तकार सहमत है मौके पर
लैंड सोल है। जिससे साबित होता है कि प्रार्थीगण
का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है
प्रार्थीगण संख्या बल में ज्यादा है तथा राजनैतिक पहुंच

Sw

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	वाले व्यक्ति है। जो गबन ताकत के बल के बूते के बल पर बलात कब्जा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। ग्राम ख०न० 39 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थीगण के बुजुर्ग मांगिया वल्द चोखा कौम बावरिया के नाम दर्ज थी तथा उक्त पुराने ख०न० 39 से ही नवीन ख०न० 155/168 रकबा 0.15 हे० बना है जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज कि० 3 पेश किया व सा० मौखिक दिया।	
	हमने बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी। व बहस के तथ्यों पर गौर किया। मूल वाद उद्घोषणा हेतु पेश किया गया है जिसमें साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर पक्षकारान को अपना पक्ष साबित करना होगा। अतः मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख०न० 78, 155, 155/668 तन ग्राम भोजपुर पटवार हल्का बरसिंहपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान का सीवं डोल नष्ट न करे। तथा नया निर्माण न करे। सीमाज्ञान के लिए उभय पक्ष स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner